कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।

भवन आवंटन एवं वार्षिक मरम्मत नियमावली 2017 यथा संशोधित 2023

1– आवास आवंटन नियमावली/विनियम का अर्थ।

2– भवन आवंटन समिति की परिभाषा।

3– आवासों का वर्गीकरण।

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण।

5– आवास गृहों का आवंटन एवं निरस्तीकरण।

6– आवास गृहो का किराया निर्धारण एवं कटौतियॉ।

7– विश्वविद्यालय के आवासीय गृहों को नियमानुसार खाली नहीं करने पर कार्यवाही।

8– आवासों की वार्षिक मरम्मत।

1– भवन आवंटन नियमावली /विनियम का अर्थ

(क) भवन आवंटन नियमावली का अर्थ कुमाऊँ विश्वविद्यालय की भवन आवंटन नियमावली से है, यह नियमावली/विनियम भवन आवंटन नियमावली कहलाई जायेगी।

(ख) यह नियमावली कुमाऊँ विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में समान रूप लागू होगी।

(ग) यह नियमावली विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा पारित अनुमोदन/प्रशासनिक निर्णय की तिथि से लागू/ प्रवर्तन मानी जायेगी।

(घ) भवन आवंटन नियमावली में परिवर्तन – भवन आवंटन नियमावली में शासन द्वारा समय –समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि नियमावली में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो भवन आवंटन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार किया जायेगा।

2– भवन आवंटन समिति की परिभाषा–

(क) भवन आवंटन समिति का अर्थ कुमाऊँ विश्वविद्यालय की भवन आवंटन समिति से है, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों/आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(ख) भवन आवंटन समिति–

क्रमशः-2

Registrar
Kumaun University
Nainital.

(1) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य भवन आवंटन समिति के अध्यक्ष से है। विश्वविद्यालय के कुलपति भवन आवंटन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(2) संयोजक –संयोजक का तात्पर्य भवन आवंटन समिति के संयोजक से है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव समिति के संयोजक होंगे।

(3)सह संयोजक–सह संयोजक का तात्पर्य भवन आवंटन समिति के सह संयोजक से हैं। विश्वविद्यालय के आवंटन अनुभाग के विकास अधिकारी अथवा अनुभाग अधिकारी समिति के सह संयोजक होंगे।

(4)सदस्य– सदस्य का तात्पर्य भवन आवंटन समिति सदस्य से है। विश्वविद्यालय के वित्त नियन्त्रक, परिसर निदेशक, निदेशक विकास एवं नियोजन एवं शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों के पदेन पदाधिकारी (अध्यक्ष अथवा सचिव) समिति के सदस्य होंगे।

(ग) भवन आवंटन समिति की बैठक सामान्य रूप से प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों / आवश्यकतानुसार कुलपति जी की अनुमति से समिति की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

3–आवासों का वर्गीकरण–

क0 सं0	आवासो का नाम व स्थान	श्रेणी	आवंटन हेतु आहर्ता
1	क्रेग काटेज स्थित कुलपति बंगला	टाईप–6	कुलपति हेतु आरक्षित
2	स्लीपी हॉलो स्थित बंगला सं0–4 (बी)	टाईप–4	कुलसचिव हेतु आरक्षित
3	स्लीपी हॉलो स्थित बंगला सं0–9(बी)	टाईप–4	वित्त नियन्त्रक हेतु आरक्षित
4	स्लीपी हॉलो स्थित बंगला सं0–1 (ए एवं बी), 2(ए एंव बी), 3(ए एवं बी), 4(ए), 5(ए एवं बी) 6(ए), 7 (ए), 8(बी)	टाईप–4	शासनादेश सं0 114 / XXII/ 2011 दिनांक 23 / 11 / 2011 के अनुसार पात्र नियमित शिक्षक / अधिकारी / कार्मिक
5	परवैक लॉज स्थित आवास	टाईप–4	तदैव
6	रू–कॉटेज स्थित आवास	टाईप–4	तदैव
7	गैलबे हाऊस स्थित आवास	टाईप–3	तदैव
8	स्लीपी हॉलो परिसर में न्यू स्टाफ क्वांटर स्थित आवास	टाईप–3	तदैव
9	स्लीपी हॉलो परिसर स्थित स्टाफ क्वांटर, क्रेग काटेज, स्लीपी हॉलो परिसर	टाईप–2	तदैव
10	एवर फायल	टाईप–2, टाईप–1	तदैव
11	डरहम हाऊस	टाईप–1	तदैव
12	विश्वविद्यालय के विभिन्न आवासीय परिसरों	टाईप–1	तदैव

Registrar
Kumaun University
Nainital.

	या विभागीय भवनों से लगे आऊट हाऊस या अस्थाई रूप से निर्मित आवास		
13	स्लीपी हॉलो परिसर स्थित बैचुलर साइंन्टिस्ट गेस्ट हाऊस	टाईप–1	तदैव
14	विश्वविद्यालय में श्रेणीवार अन्य निर्मित आवास।	टाईप–1 एंव 2	तदैव

4– आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण

आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विश्वविद्यालय में अपनी श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर किया जायेगा, यदि किसी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के अन्यत्र परिसर में होता है तो सम्बन्धित की वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य स्थानान्तरित स्थल पर यथावत रहेगी।

5– आवासीय गृहों का आवंटन/निरस्तीकरण–

(क) विश्वविद्यालय में आवासों के आवंटन से पूर्व सहायक अभियन्ता द्वारा आवासों के रहने योग्य होने की तकनीकी जॉच करते हुए सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जायेगी। आख्या के आधार पर ही रहने योग्य पाये जाने पर ही श्रेणीवार आवास आवंटन हेतु इच्छुक कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जायेगी। भवन आवंटन समिति द्वारा नियमावली के नियम 2 (ग) के अनुसार वर्गीकृत आवासों का आवंटन, आवेदक कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति की वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक किन्ही कारणों से रिक्त आवास हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवास आवंटन हेतु आवेदन नही करता है ऐसी स्थिति में भविष्य में रिक्त होने वाले आवासों के आवंटन हेतु जारी विज्ञप्ति के सापेक्ष समिति द्वारा उसके आवेदन पर विचार किया जायेगा।

(ख) आवास हेतु अर्ह शिक्षकों /अधिकारियों /कर्मचारियों को आवास रिक्त होने पर पद के अनुरूप श्रेणीवार आवास आवंटित किये जायेंगे।

(ग) आवास गृहों का आवंटन विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों/कर्मचारियों को आवेदन करने के उपरान्त उनकी श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता से किया जाऐगा। किसी भी कार्मिक को उसके पद के अनुरूप आवास आवंटन होने की दशा में पुनः उसी श्रेणी के आवास आवंटन हेतु उसका दावा मान्य नहीं होगा। आऊट सोर्सिंग/दैनिक/संविदा कर्मिकों को विश्वविद्यालय का आवास किसी भी दशा में आवंटित नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय में रिक्त आवासों के आवंटन में नियमित कार्मिकों को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु तत्समय नियमित कार्मिकों द्वारा आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा/दैनिक वेतन पर कार्यरत कार्मिकों को आवेदन करने पर वरिष्ठता के आधार पर सेवा में रहने तक अस्थाई आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

(घ) विश्वविद्यालय में आवास आवंटन में शासनादेशानुसार आरक्षण लागू किया जायेगा।

Registrar
Kumaun University
Nainital.

(ड़) किसी भी आवंटी को विश्वविद्यालय का आवंटित आवास को किसी भी अन्य व्यक्ति को किराये (Subletting) में देने या अन्य किसी गैर आवंटित व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं होगा। उक्त के संदर्भ में यदि किसी आवंटी के विरूद्ध शिकायत सही पायी जाती है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(च) यदि कोई आवंटी अपना आवंटित आवास छोड़ना चाहे तो इसकी सूचना 30 दिन पूर्व विश्वविद्यालय को देगा।

(छ) एक बार आवास आवंटित होने पर आवास का पुर्नआवंटन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(ज) यदि कोई कर्मचारी/शिक्षक/ अधिकारी अपनी स्वेच्छा से अपने पद से निचले श्रेणी का आवास लेता है तो ऐसे कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी का भविष्य में पद के अनुरूप आवास का दावा मान्य नहीं होगा। अपने पद के अनुरूप आवास आवंटन चाहने हेतु नियम 5–क में वर्णित व्यवस्थानुसार आवास आवंटित किये जायगें।

(झ) ....

(ण) यदि कोई आवंटी अपने आवासीय परिसर में अनैतिक व्यवहार/असमाजिक व आपराधिक कार्यों से संलिप्त पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार ऐसे आवंटी के आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(त) कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा/विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिये नितान्त अस्थाई रूप से उनकी श्रेणी के आवास में निवास की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु समय विस्तारण किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त निवासित कर्मचारी/शिक्षक /अधिकारी को आवास रिक्त करना होगा।

6– आवासीय गृहों का किराया निर्धारण एवं कटौतियॉं –

(क) आवास का निर्धारित किराया आवंटी के वेतन से प्रतिमाह कटौती किया जायेगा एवं आवंटी को मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) आवास के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान आवंटी को स्वंय करना होगा।

7– विश्वविद्यालय के गृहों को नियमानुसार खाली नहीं करने पर किराये की वसूली एवं विधिक कार्यवाही–

(क) विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा बाहय सेवा पर जाने वाले विभागीय कर्मचारी/अधिकारी /शिक्षक या यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी /शिक्षक जिसे आवास पहले से आवंटित है विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा बाहय सेवा पर चला जाता है तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारी /शिक्षक को प्रतिनियुक्ति अथवा बाहय सेवा हेतु नियमानुसार स्वीकृत अवधि तक आवंटित आवास के मानक किराये का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास खाली करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त नहीं करने पर ऐसे आवंटी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख) सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु अथवा पदच्च्युत होने पर पदाधिकारी /उसका परिवार जैसी भी स्थिति में हो आवंटित आवास में निम्नलिखित नियमों अन्तर्गत निवास कर सकता है–

1. सेवानिवृत्त होने पर आवंटी अथवा उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में सेवामुक्त होने की तिथि से अधिकतम छः माह तक आवंटित आवास में पीनल किराये पर निवास कर सकता है।

Registrar
Kumaun University
Nainital.

2. आवंटी की मृत्यु होने पर उसका परिवार जैसी भी स्थिति हो आवास में अधिकतम छः माह तक आवंटित आवास में पीनल किराये पर निवास कर सकता है, तथा उसे छः माह पश्चात अनिवार्यतः आवास खाली करना होगा।

3. त्यागपत्र बरखास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने की दशा में आवंटी व उसका परिवार जैसी भी स्थिति में हो त्यागपत्र, बरखास्तगी अथवा सेवा से हटाये की तिथि से अधिकतम एक माह तक आवंटित आवास में निवास कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटी को आवास खाली करना होगा।निर्धारित अवधि के उपरान्त आवास रिक्त नहीं करने पर आवंटी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि सेवानिवृत्त आवंटी या आवंटी की मृत्यु होने पर आवंटी अथवा उसके परिवार जैसी भी हो को आवंटित आवास में निवास हेतु पैरा 7ख के 01 व 02 में नियत अवधि के पश्चात कब्जा अनाधिकृत होगा और आवंटी अथवा उसके परिवार जैसी भी स्थिति हो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुऐ आवास खाली कराने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

टिप्पणी– पीनल किराये का अर्थ प्रथम माह आवास का निर्धारित किराया तदुपरान्त उपर्युक्त बिन्दु–7 के (ख) के पैरा 2 एवं 3 में उल्लिखित समय अवधि तक आवास के निर्धारित किराये के तीन गुणा होगा।

(ग) ऐसे सेवारत कर्मचारीगण/अधिकारीगण/शिक्षकगण जिनको सरकारी आवास आवंटित है,का आवास में अध्यासन किसी प्रकार से अनाधिकृत हो जाता है तब ऐसे अनाधिकृत अध्यासी को नोटिस दिया जायगा, कि वह 15 दिन के अन्दर आवास को रिक्त करें, अन्यथा उसके विरूद्ध यथास्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 441 में परिभाषित आपराधिक अतिचार के अपराध हेतु प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी। इसी प्रकार सेवानिवृत्तिं अध्यासियों का अध्यासन अनाधिकृत हो जाने पर उनके सेवानिवृत्त लाभों में से एवं रिकवरी एक्ट के अधीन उनकी सम्पत्ति को विक्रय कर दण्डनीय किराया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही उक्तानुसार प्रथम सूचना रिर्पोट थाने में दर्ज करायी जायेगी। **(उपर्युक्त पैरा– मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 4064/2004 एस0डी0 बांदी बनाम सब डिविजनल स्टेट आफिसर में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अर्द्ध0 शा0 पत्र सं0 728/XXXII/2007 दिनांक 07 सिंतम्बर 2007 से लिया गया है)।**

8– आवासो की वार्षिक मरम्मत।

(1) आवासो की वार्षिक मरम्मत धन के उपलब्ध होने पर आवंटी के प्रार्थना पत्र की वरीयता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाया जयोगा।

(2) आवासों में रंगाई–पुताई का कार्य विश्वविद्यालय की अनुरक्षण मद में धन उपलब्ध होने पर प्रत्येक पॉच वर्ष में आवश्यकतानुसार करवायी जायेगी

(3) आवासों में परिवर्तन एवं परिवर्धन किसी की दशा में नही किया जायेगा, यदि किसी आवंटी द्वारा आवंटित आवास में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो ऐसे आवंटी का आवंटन निरस्त किया जायेगा तथा आवंटी के विरूद्ध अनुसानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

16/1/2024

कुलसचिव
Registrar
Kumaun University
Nainital.